No.CBSE/CE/NPS/2021 दिनांक: 14.11.2021

सेवा में

भारत के बाहर स्थित सीबीएसई से संबद्ध
विदेशी विद्यालयों के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक

केवल विदेशी विद्यालयों के लिए
विषय: एक कमरे में अभ्यर्थियों की संख्या के संबंध में

प्रिय महोदय/महोदया,

विदेशों में स्थित कई विद्यालयों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके देशों में विद्यालय बिना किसी कोविड संबंधित प्रतिबंध के पूरी संख्या/क्षमता के साथ खुल रहे हैं। विद्यालयों ने यह भी सूचित किया है कि वे स्थानीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन के लिए 24 अभ्यर्थियों को एक कमरे में समायोजित कर सकते हैं।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि विदेशों में स्थानीय सरकार के निर्देशानुसार, यदि विद्यालयों को पूर्ण संख्या /क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी जाती है, तो टर्म-I परीक्षा में एक कमरे में, 24 अभ्यर्थियों को आवंटित किया जा सकता है। तद्नुसार एक कक्ष में 02 सहायक केन्द्र अधीक्षकों की तैनाती की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि यह अनुमति केवल विदेशों में स्थित स्कूलों अर्थात भारत से बाहर के लिए है और भारत में स्थित स्कूलों पर लागू नहीं है।

हस्ताक्षरित

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक